मेरठ विकास प्राधिकरण

की

54वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 17-3-97

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 17-3-97

समय : 11-00 बजे पूर्वान्ह
स्थान : आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1-	श्री एच०एल०बिरदी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री ए०पी०सिंह	प्रमुख सचिव, आवास, उ०प्र०शासन ।	सदस्य
3-	श्री दीपक सिंघल	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री राजीव कुमार	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री आर०के०भटनागर	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मुजफफरनगर ।	सदस्य
6-	श्री जितेन्द्र बिष्णु	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
7-	श्री एन०एन०थपलियाल	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ ।	सदस्य
8-	श्री रणजीत पंकज	संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ ।	सदस्य
9-	श्री एम०पी०अनेजा	वरिष्ठ नियोजक, उ०प्र०शासन, लखनऊ । (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
10-	श्री चन्द्र प्रकाश	अपर आयुक्त,उ०प्र०आवास विकास परिषद, मेरठ ।	सदस्य
11-	श्री आर०पी०सिंह	उप आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास विकास परिषद, मेरठ ।	सदस्य
12-	श्री ए०के०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम, मेरठ ।	सदस्य

बैठक में मदवार निम्न निर्णय लिये गये ।

मद संख्या - 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 5-11-96 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

कार्यवृत्त दिनाँक 5-11-96 की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 5-11-96 की बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या से बोर्ड के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया।

बोर्ड बैठक दिनाँक 5-11-96 में प्राधिकरण की स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स योजना में पूर्व के बर्षो में आबंटित किये गये भूखण्डों के आबंटियों द्वारा किश्तों का भुगतान समय से न किये जाने के कारण आबंटियों द्वारा किश्तों पर देय ब्याज धनराशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने एवं इनकी अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु आयुक्त/अध्यक्ष, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था। यह समिति उद्यमियों द्वारा नहीं दी गयी किश्तों के ऊपर आरोपित ब्याज माफ किये जाने के लिये निर्णय लेने के लिये सक्षम घोषित की गयी थी। गठित समिति की बैठक आहूत नहीं हो पायी थी। दिनाँक 17-3-97 को आयोजित प्राधिकरण बोर्ड बैठक में माननीय सदस्यों को आबंटियों के ऊपर अवशेष किश्तों की धनराशि, ब्याज की धनराशि एवं दण्ड ब्याज की धनराशि से अवगत कराया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के बारे में यह निर्णय लिया गया कि आबंटियों के केवल दण्ड ब्याज माफ कर दिया जाये वशर्ते कि आबंटी इस सम्बन्ध में जारी होने वाले पत्र की जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर किश्तों की अवशेष धनराशि, साधारण ब्याज सहित प्राधिकरण में जमा कर दें।

मद संख्या - 3

वित्तीय बर्ष 1996-97 के माह फरवरी तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति।

प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों को वित्तीय बर्ष 1996-97 की प्रगति आख्या से अवगत कराया गया। वित्तीय बर्ष 1995-96 के मुकाबले वित्तीय बर्ष 1996-97 में दिनाँक 1-4-96 से 28-2-97 तक राजस्व आय में 145 प्रतिशत की वृद्धि एवं पूँजीगत आय में 141 प्रतिशत की वृद्धि से माननीय सदस्यों को

अवगत कराया गया हालाँकि विगत बर्ष के मुकाबले इस बर्ष प्रगति अच्छी रही परन्तु आय-व्ययक 1996-97 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप प्रगति नहीं पायी गयी। जिलाधिकारी, मेरठ ने शहर में अनाधिकृत रुप से बडे बडे निर्माण प्राधिकरण के अभियन्ताओं की मिलीभगत से किये जाने का उल्लेख किया। इस पर निर्देश दिये गये कि ऐसे बडे अनाधिकृत निर्माण के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित किया जाये व इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 4

निजी निर्माताओं/प्रोत्साहकों को आवासीय कालोनी विकसित करने हेतु बल्क भूमि आबंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

बल्क भूमि निस्तारण के लिये पूर्व में प्रकाशित योजना के अनुसार टैन्डर प्राप्त न होने के फलस्वरुप बल्क भूमि आबंटन की शर्तो में शिथिलता करने की आवश्यकता पायी गयी। इससे प्राधिकरण की बल्क भूमि का निस्तारण हो सकेगा। कुल भूमि का 10 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात निजी निर्माताओं को भूमि विक्रय किये जाने हेतु प्रचार का अधिकार प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही निजी निर्माताओं/प्रोत्साहकों के मध्य अधिक स्पर्धा लाने के लिये यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में आवेदकों के लिये निर्धारित अर्हता की शर्तो में भी शिथिलीकरण किया गया, इसके अनुसार 50 करोड रुपये बार्षिक टर्नओर निर्धारित किये जाने पर अनुमोदन दियागया। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 5-11-96 में अनुमोदित योजना में निम्न संशोधनों को किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

1- टैन्डर स्वीकृत होने के उपरान्त भूमि के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि 15 दिन में जमा करने के स्थान पर 30 दिन की समयावधि प्रदान करने पर।

2- 10 प्रतिशत धनराशि जमा करनेके उपरान्त अतिरिक्त 15 प्रतिशत धनराशि टैन्डर स्वीकृत होने के दो माह के अन्दर जमा किये जाने के स्थान पर 15 प्रतिशत धनराशि टैन्डर स्वीकृत होने के चार माह के अन्दर जमा करने पर।

३- भूमि के ले-आउट प्लान व विकास व्यय से सम्बन्धित नक्शे व आकलन की स्वीकृति हेतु 8 सप्ताह की समयावधि के स्थान पर एक माह की समयावधि निर्धारित किये जाने पर ।

4- बाहय विकास शुल्क के रुप में अनुमानित रु० 80-00 प्रति वर्गमीटर के स्थान पर प्रत्येक योजना के बाहय विकास पर होने वाले वास्तविक व्यय की धनराशि का आकलन करके बाहय विकास शुल्क निर्धारित किये जाने पर । यदि आबंटी द्वारा इसके अनुसार निर्धारित बाहय विकास शुल्क निर्धारित समयावधिमें जमा नहीं किया जाता है तो बिलम्ब होने की स्थिति में बाहय विकास शुल्क पर होने वाली बढोत्तरी आबंटी से वसूल किये जाने पर ।

5- आन्तरिक विकास के लिये आबंटी से भूमि मूल्य का 20 प्रतिशत की बैंक गारन्टी को, आबंटी द्वारा आन्तरित विकास प्रारम्भकिये जाने की स्थिति मे प्रत्येक बर्ष जितना आन्तरिक विकास कार्य आबंटी द्वारा सम्पन्न किया जायेगा उसी के अनुपात में प्रदत्त बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी । यदि आबंटी बैंक गारन्टी नहीं देता है तो कुल आबंटित भूमि का 20 प्रतिशत क्षेत्रफल पर इन्हें विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं होगा परन्तु आन्तरिक विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने पर प्रत्येक बर्ष आबंटी द्वारा किये गये आन्तरिक विकास कार्य के अनुपात में उक्त के अनुसार बन्धक रखी गयी भूमि पर विक्रय का अधिकार प्रदान किया जायेगा ।

6- शासनादेश संख्या- 2806/9- आ-1-1996 दिनाँक 18-8-96 में उल्लिखित आन्तरिक विकास कार्यो की लागत का एक प्रतिशत ले-आउट प्लान स्वीकृत करते समय आबंटी से सुपरवीजन चार्जेज के रुप में वसूल किये जाने पर ।

पूर्व में निर्धारित भूमि मूल्य रु० 175-00 प्रति वगमीटर के दर पर ही वेदव्यासपुरी योजना, लोहिया नगर एवं शताब्दी नगर योजनाओं में बल्क भूमि आबंटन की योजना प्रकाशित किये जाने का निर्णय लिया गया । उपरोक्त के अतिरिक्त शेष शर्ते प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 5-11-96 में अनुमोदित योजनाके अनुसार ही रखी जाये ।

मद संख्या - 5

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर (एक्सटेंशन) आवासीय योजना हेतु ग्राम अब्दुल्लापुर में 219.89 एकड भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

मद संख्या - 6

सुभारती के०के०बी० चैरेटेबिल ट्रस्ट को मेडीकल कालेज की स्थापना के लिये वेदव्यासपुरी योजना में भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की पूर्व बोर्ड बैठक दिनाँक 5-11-96 में लिये गये निर्णय के क्रम में संस्था को दिनाँक 18-11-96 को आबंटन का आफर जारी किया गया है। इसके उपरान्त संस्था द्वारा प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 5-11-96 में लिये गये निर्णय में कतिपय संशोधन/शिथिलता का अनुरोध किया गया। इसी के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्ताव के अनुसार संस्था को भूमि लाईसेन्स के आधार पर दिया जाना प्रस्तावित किया गया एवं लाईसेन्स डीड का आलेख भी प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। इस पर पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्थाको भूमि एच०पी०टी० के आधार पर आबंटित की जाये। बार्षिक लाईसेन्स फीस एक प्रतिशत निर्धारित किया गया। संस्था को भूमि आबंटित करते समय 10 प्रतिशत एवं कब्जा देते समय भूमि के मूल्य का 15 प्रतिशत धनराशि ली जायेगी। इसमें पूर्व में जमा धनराशि भी सम्मिलित होगी) प्रथम चरणमें संस्था को 25 एकड भूमि का कब्जा दिया जायेगा और दूसरे चरण में 30 एकड भूमि का कब्जा दिया जायेगा। दोनो चरणों के बीच उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि के लिये समय का अन्तर अधिकतम एक माह निर्धारित किया गया।

संस्था को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित मुआवजा/प्रतिकर की धनराशि एवं दिनाँक 31-3-96 तक

वेदव्यासपुरी योजना में किये गये बाहय विकास व्यय के आधार पर रु० 225-00 प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि का आबंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। इस दर में भूमि अधिग्रहण की दरों में वृद्धि होने एवं वेदव्यासपुरी योजना में दिनाँक 31-3-96 के बाद किये जाने वाले बाहय विकास व्यय के कारण भूमि मूल्य में होने वाली वृद्धि की धनराशि संस्था से 21 प्रतिशत बार्षिक ब्याज दर पर वसूल की जायेगी। यदि संस्था द्वारा भुगतान के लिये निर्धारित किये गये समय के अन्दर बढी हुई दरों/मूल्यों का भुगतान कर दिया जाता है तो संस्था को ब्याज दर में 3.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उक्त के अतिरिक्त संस्था को भूमि आबंटन निम्न प्रतिबन्धों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया :

ए- संस्था को एक बर्ष के अन्दर कुल भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। यह धनराशि आबंटन के लिये भूमि मूल्य के लिये जमा की गयी 10 प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त होगी।

बी- अवशेष भूमि मूल्य की 65 प्रतिशत धनराशि समान छः बार्षिक किश्तों में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।

सी- अगली बार्षिक किश्त आबंटन-पत्र/आफर जारी होने की तिथि से 18-11-96 से दो बर्ष के अन्दर देय होगी।

डी- आबंटन पत्र/आफर जारी होने की तिथि से 18-11-96 की तिथि से भूमि के कुल मूल्य के सापेक्ष्य देय अवशेष धनराशि पर 21 प्रतिशत ब्याज दर आरोपित किया जायेगा तथा समय से भुगतान करने पर 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी अर्थात यदि संस्था द्वारा समय से भुगतान किया जाता है तो बार्षिक ब्याज दर 17.5 प्रतिशत होगी।

ई- संस्था को बाहय विकास के रुप में केवल एक बिन्दु पर लिंक रोड की सुविधा दी जायेगी एवं वेदव्यासपुरी योजना में जब ड्रेन का कार्य पूर्ण हो जायेगा तो केवल एक बिन्दु पर ड्रेन लिंक दिया जायेगा।

एफ- संस्था द्वारा जल की आवश्यकता की पूर्ति अन्डर ग्राउन्ड वाटर से की जायेगी। संस्था को 33 किलोवाट के विद्युत लाईन के एक बिन्दु पर विद्युत बोर्ड से कनैक्शन लेने की अनुमति होगी। 33/11 किलोवाट के सब-स्टेशन का निर्माण संस्था स्वयं करेगी। संस्था को आबंटन - पत्र जारी

होने की तिथि 18-11-96 की तिथि से तीन बर्ष के अन्दर मेडीकल कालेज की स्थापना करना अनिवार्य होगा ।

जी- मेरठ विकास प्राधिकरण एवं संस्था के बीच होने वाले समस्त विवादों का निस्तारण सोल आर्बीट्रेटर के रुप में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के द्वारा किया जायेगा ।

एच- एच०पी०टी०ए० का आलेख अनुमोदन हेतु अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ सक्षम होंगे ।

यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा आबंटित भूमि के कुल मूल्य का भुगतान करने के पश्चात संस्था की भूमि 90 बर्ष के लीज पर प्राधिकरण द्वारा आबंटित की जायेगी । प्राधिकरण द्वारा लीज डीड सम्पादित करने के पूर्व वन टाईम प्रीपेड लीज रेन्ट जो भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत होगा, संस्था से प्राप्त किया जायेगा । जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अगवत कराया गया कि एक अन्य संस्था इन्टरनेशनल इन्स्टीटयूट आफ एजूकेशन, मेरठ द्वारा भी मेडीकल कालेज हेतु भूमि आबंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिन शर्तो पर सुभारती के०के०बी० चैरेटेबिल ट्रस्ट को भूमि आबंटित की जा रही है इन्हीं शर्तो एवं प्रतिबन्धों पर इस संस्था के अनुरोध का परीक्षण करते हुए भूमि आबंटन के लिये उपाध्यक्ष अधिकृत होंगे ।

मद संख्या - 7

प्राधिकरण की शताब्दी नगरयोजना के पाके - 4 सी व सैक्टर - 2 में ग्रुप हाऊसिंग हेतु दर्शित भूभागों के अन्तर्गत भूखण्डीय विकास के तलपट मानचित्रों के अनुमोदन के सम्बन्धमें ।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या - 8

पल्लवपुरम योजना में पाकेट ओ के अन्तर्गत प्रोगेसिव एजूकेशन सोसायटी मेरठ को हाई स्कूल हेतु भूखण्ड संख्या - एच० एस० 11915 मीटर भूमि आबंटन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या - 9

ग्राम रामपुर पावटी, बागपत रोड में लगभग 11.711 हैक्टेयर भूमि पर डिग्री कालेज के निर्माणहेतु मेरठ महायोजना में निर्दिष्ट 'कृषि हरित पट्टी' भूउपयोग से 'शैक्षिक संस्था' भूउपयोग में परि-वर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

मद संख्या - 10

मेरठ विकास प्राधिकरण में अनाधिकृत निर्माण/विकास सम्बन्धी अपराधों को शमन किये जाने हेतु विकास प्राधिकरण अपराधों की शमन उपविधि - 1996 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 11

फातिमा सोसायटी ग्राम अछरोडा सोफिया हिन्दी स्कूल के विकास शुल्क के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड ने सम्बन्धित संस्था से वर्तमान प्रचलित दर पर विकास शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया। इसके अनुसार संस्था को विकास शुल्क के रुप में रु० 5,69,070-15 देना होगा।

मद संख्या - 12

सम्राट पैलेस कालोनी में प्रस्तुत मानचित्र संख्या - 514/96 के सम्बन्ध में।

स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को शमित करते हुए एवं भवन स्वामी से शमन शुल्क प्राप्त करते हुए भूउपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या - 13

श्रीमती तुलसी सक्सैना को शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर- प्रथम में आबंटित भवन सं०- बी/99 की जमा अवशेष पाँचवी किश्त रु० 22,674.00 वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 14

प्राधिकरण की आवासीय योजना में अर्द्धनिर्मित/ अपूर्ण एवं अलोकप्रिय सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण एवं आबंटन प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 15

प्राधिकरण की आवासीय योजना में रिक्त तथा समर्पित/ निरस्तीकरण के फलस्वरुप उपलब्ध हुई पूर्ण आवासीय भवनों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के पूर्ण आवासीय भवनों की बहुतायत संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इनका तेजी से आबंटन किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

क- दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्क के लिये दिनाँक 30-6-96 तक निर्धारित मूल्य पर दिनाँक 1-4-97 से 31-3-98 तक तक आबंटित कियाजाये।

ख- मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के भवनों हेतु दिनाँक 30-6-96 तक निर्धारित मूल्य पर, दिनाँक 30-6-96 के उपरान्त से दिनाँक 31-3-97 तक 15 प्रतिशत बार्षिक ब्याज दर लगाकर भवन मूल्य निर्धारित किया जाये। इस प्रकार निर्धारित मूल्य पर दिनाँक 1-4-97 से 31-3-98 तक आबंटन किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि सामान्य आबंटन प्रक्रिया के अतिरिक्त बल्क में भी आवासीय भवनों का निस्तारण किया जाये।

मद संख्या - 16

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में रिक्त तथा समर्पित/ निरस्तीकरण के फलस्वरुप उपलब्ध विकसित आवासीय भूखण्डों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद संख्या - 17

प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड के आबंटन में विशेष सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड के आबंटन में कतिपय सुविधायें दी जा रही हैं इसी के अनुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 18

वित्तीय बर्ष 1997-98 के प्रथम तीन महीनों हेतु आवश्यक खर्चो की अनुमति के सम्बन्ध में।

वित्तीय बर्ष 1997-98 के प्रथम तीन माह हेतु खर्चो की अनुमति प्रदान की गयी तथा अवशेष अवधि के लिये प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में आय - व्ययक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरकमद संख्या - 1

श्री मेघसिंह राना को शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर-प्रथम में आबंटित भवन संख्या - बी/156 की धनराशि रु० 95,621.00 वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

आबंटी श्री राना की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इनकी कुल जमा धनराशि रु० 95,621.00 को बिना किसी कटौती एवं इस पर कोई ब्याज न देते हुए वापस किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त शासन के निर्देशों के अनुसार आबंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि वापस किये जाने

के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु प्राधिकरण की अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।

अनुपूरकमद संख्या - 2

सम्राट पैलेस कालोनी में डा० अतुल कृष्ण द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या- 704/96 को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

डा० अतुल कृष्ण द्वारा बेसमेन्ट को शामिल करते हुए अनाधिकृत रुप से 1.96 एफ०ए०आर० का निर्माण किया गया है । यह अधिकतम अनुमन्य एफ०ए०आर० 1.32 से अधिक है । प्राधिकरण बोर्ड ने निर्देश दिये कि अधिकतम एफ०ए०आर० 1.32 के अलावा किये गये निर्माण को जब डा० अतुल कृष्ण स्वेच्छा से ध्वस्त कर देंगे तब निर्धारित शमन शुल्क लेते हुए उपाध्यक्ष अनाधिकृत निर्माण को शमित करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशनगत भूखण्ड का प्रयोग आवासीय से व्यवसायिक परिवर्तित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अनुपूरकमद संख्या - 3

प्राधिकरण अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय वाहन भत्ते की दरें पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरकमद संख्या - 4

श्री शशि भूषण, मुख्य अभियन्ता के ओपन हार्ट सर्जरी पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

तत्कालीन मुख्य अभियन्ता श्री शशि भूषण के चिकित्सा व्यय पर हुए व्यय रु० 2,18,619.00 की प्रतिपूर्ति किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अनुपूरकमद संख्या - 5

प्राधिकरण कर्मचारियों को आबंटित भवन/ भूखण्डों की कीमत में सुपरवीजन चार्ज की छूट प्रदान किया जाना तथा वर्तमान

देय चिकित्सा भत्ता रु० 20.00 के स्थान पर रु० 30.00 प्रतिमाह किया जाना।

प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरकमद संख्या - 6

मेरठ स्टेडियम क्लब को रक्षापुरम योजना के अन्तर्गत क्लब के निर्माण हेतु 1255 वर्गमीटर भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

मेरठ स्टेडियम क्लब को रक्षापुरम योजना के अन्तर्गत क्लब निर्माण हेतु 1255 वर्गमीटर भूमि 100.00 रुपये प्रतिमाह के दर पर किराये पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरकमद संख्या - 7

श्री अमित अग्रवाल, विधायक, मेरठ छावनी, मेरठ एवं वास्तुविद संगठन, मेरठ द्वारा मेरठ महायोजना-2001 से सम्बन्धित एवं अन्य सुधारों के सम्बन्ध में।

श्री अमित अग्रवाल, विधायक, मेरठ छावनी, मेरठ एवं मेरठ वास्तुविद संगठन, मेरठ द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों पर आवश्यक अध्ययन उपरान्त कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

1- उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। सदस्य

2- श्री एम०पी०अनेजा, वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजक विभाग, लखनऊ। सदस्य

3- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ जोन, मेरठ। सदस्य

4- मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। सदस्य

अनुपूरकमद संख्या - 8

मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा शताब्दी नगर योजना में निर्माणाधीन 372 आवासीय भवनों के सम्बन्ध में।

मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा०लि० के प्रत्यावेदन दिनाँक 31-10-96 पर निर्णय लेने हेतु पूर्व में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 5-11-96 के अनुसार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं संयुक्त निदेशक- कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ की एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति की कोई बैठक आयोजित न होने एवं निर्णय न लिये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि अब इस समिति में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्थान पर जिलाधिकारी, मेरठ होंगें एवं यह समिति मैसर्स अन्सल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा०लि० के प्रत्यावेदन दिनाँक 31-10-96 पर निर्णय लेने के लिये सक्षम होगी।

अनुपूरकमद संख्या - 9

ग्राम मेरठ खास के खसरा सं०- 6404 से 6408, 6416, 6388/1, 6389, 6396 एवं 6397 पर समझौते के सम्बन्ध में मैसर्स दीवान इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० का प्रत्यावेदन 23-2-97।

मैसर्स दीवान इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री वी०एस०दीवान के प्रार्थना-पत्र दिनाँक 23-2-97 जिमसें मेरठ खास के खसरा सं०- 6404 से 6408,6416, 6388/1, 6389, 6396 एवं 6397 पर समझौते का पेशकश की गयी है, पर निर्णय लेने के लिये उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं श्री एम०पी०अनेजा, नगर नियोजन विभाग, लखनऊ की एक समिति गठित की गयी। यह समिति विवादग्रस्त खसरा नम्बरों पर नियोजित एवं आबंटित भूखण्डों को अन्यत्र स्थान पर परिवर्तित करने के लिये भी सक्षम होगी, जिससे कि यदि समझौते के लिये यह आवश्यक पाया गया तो नियमित आकार का भूखण्ड मैसर्स दीवान इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० को उपलब्ध हो सकेगा।

अनुपूरकमद संख्या - 10

भूलेख निरीक्षक (परिवर्तित पदनाम राजस्व निरीक्षक) पद का वेतन पा रहे वरिष्ठ लेखपाल को राजस्व निरीक्षक पदनाम दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव स्थगगित किया गया।

अनुपूरकमद संख्या - 11

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाँक 24-2-92 के मद सं०-2 (5) पर बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में भूमि अर्जन के वह प्रस्ताव जिनमें भूमि अर्जन की स्वीकृति बोर्ड द्वारा पूर्व में की जा चुकी है। किन्तु उसमें धारा-4,6 व 17 की विज्ञप्ति अभी तक निर्गत नहीं हुई है, उन अर्जन प्रस्तावों पर पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अन्त में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया तथा उपस्थित सभी सदस्यों के लये धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

ह०/-	ह०/-
सचिव	उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,	विकास प्राधिकरण,
मेरठ।	मेरठ।

ह०/-
अध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ।